संख्या-250/2017/2107/22-2-2016-17(70)/1994

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री विशम्भर दयाल रस्तोगी, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजकुमार पुत्र श्री विशम्भर दयाल रस्तोगी, निवासी-57, मिरदही टोला, थाना-बिसवां, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने तिलक में तय हुए रू0-1500/- के स्थान पर रू0-1000/- दिये जाने को लेकर पत्नी को प्रताडित करता था। इसी बीच बन्दी के मधु नामक लडकी से प्रेम सम्बन्ध हो गये, बन्दी उससे शादी करना चाहता था। इसी कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19-02-1975 को सायं लगभग 05-30 से 06-30 बजे के मध्य अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्रप्रभा की गला घोंट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-421/1975 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 29-01-1977 को दोषमुक्त किया गया। बन्दी, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-01-1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा बन्दी की अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.07.2016 तक 20 वर्ष 07 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 03 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के कारण बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी श्रीमती चन्द्रप्रभा की गला घोंट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल रस्तोगी, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजकुमार (बन्दी संख्या-13602) पुत्र श्री विशम्भर दयाल रस्तोगी, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-250/2017/2107(1)/22-2-2016 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-250/2017/2107@22-2-2016-17(70)/1994

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी राजकुमार (बन्दी संख्या-13602) पुत्र श्री विशम्भर दयाल रस्तोगी, निवासी-57, मिरदही टोला, थाना-बिसवां, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी तिलक में तय हुए रू0-1500/- के स्थान पर रू0-1000/- दिये जाने को लेकर पत्नी को प्रताडित करता था। इसी बीच बन्दी के मधु नामक लडकी से प्रेम सम्बन्ध हो गये, बन्दी उससे शादी करना चाहता था। इसी कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19-02-1975 को सायं लगभग 05-30 से 06-30 बजे के मध्य अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्रप्रभा की गला घोंट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-421/1975 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 29-01-1977 को दोषमुक्त किया गया। बन्दी, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-01-1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा बन्दी की अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.07.2016 तक 20 वर्ष 07 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 03 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के कारण बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी श्रीमती चन्द्रप्रभा की गला घोंट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेधन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल रस्तोगी, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in